

(99)

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक - ख0भू0(यो0) (खान)-03/2023

05

/राँची, दिनांक-23/05/23

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निदेशक, खान,
झारखण्ड, राँची।

विषय :- निधि का आवंटन
महाशय,

राज्य स्कीम (विस्तृत) मांग संख्या-29-खान एवं भूतत्व विभाग-मुख्य शीर्ष-2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-02-खानों का विनियमन तथा विकास-लघु शीर्ष-001- निदेशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-07-खनन स्थापना (राज्य स्कीम) STATE SCHEME: DIRECTORATE OF MINES (0869) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट उपबंधित राशि तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04 दिनांक-16.05.2023 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश संख्या-209 दिनांक-16.05.2023 के आलोक में निम्नांकित इकाईयों में योजना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल राशि रु0 10,22,00,000/- (दस करोड़ बाईस लाख) मात्र (यथा स्तंभ-6 में अंकित) का आवंटन एतद् द्वारा किया जाता है:-

(राशि रु0 में)

क्र0 सं0	विस्तृत शीर्ष	ईकाई	कुल बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	शेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
	03-प्रशासनिक व्यय	15-कार्यालय व्यय 29-S-2853-02-001-07-00-03-15	10,00,000	10,00,000	10,00,000	0
1		17-कार्यालय उपकरण 29-S-2853-02-001-07-00-03-17	45,00,000	45,00,000	45,00,000	0
2		18-प्रकाशन 29-S-2853-02-001-07-00-03-18	2,00,000	2,00,000	2,00,000	0
3		21-सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 29-S-2853-02-001-07-00-03-21	10,00,000	10,00,000	10,00,000	0
4		23-आपूर्ति एवं सामग्री 29-S-2853-02-001-07-00-03-23	10,00,000	10,00,000	10,00,000	0
5		29-व्यवसायिक सेवाएँ 29-S-2853-02-001-07-00-03-29	2,00,00,000	2,00,00,000	2,00,00,000	0
6		31-परामर्शी शुल्क 29-S-2853-02-001-07-00-03-31	6,00,00,000	6,00,00,000	6,00,00,000	0
7		35-प्रशिक्षण व्यय 29-S-2853-02-001-07-00-03-35	10,00,000	10,00,000	10,00,000	0
8	04-मोटरगाड़ियां/ईंधन	40-नई मोटरगाड़ी का क्रय 29-S-2853-02-001-07-00-04-40	25,00,000	25,00,000	25,00,000	0
9		41-मोटर वाहन 29-S-2853-02-001-07-00-04-41	10,00,000	10,00,000	10,00,000	0
11	08-लेखा समायोजन	86-वापसी 29-S-2853-02-001-07-00-08-86	1,00,00,000	1,00,00,000	1,00,00,000	0
		कुल	10,22,00,000	10,22,00,000	10,22,00,000	0

कुल आवंटित राशि 10,22,00,000/- (दस करोड़ बाईस लाख) रु0 मात्र

- उपर्युक्त आवंटित राशि में से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को ऑनलाईन राशि का उप आवंटन निदेशक, खान द्वारा किया जाएगा।
- आवंटित राशि उन्ही मदों में व्यय की जायेगी, जिसके लिए आवंटित की जा रही है। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन मान्य नहीं होगा। निकासी के तुरंत बाद व्यय का ब्योरा कोषागार प्रमाणक के साथ बजट शाखा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्रों पर मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों में वर्गीकरण भूल की जिम्मेदारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. आवंटित राशि के चालू वित्तीय वर्ष में व्यय नहीं होने की संभावना हो तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2024 तक अवश्य कर दिया जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।
6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक- 2561 दिनांक-17.04.1998 (अंगीकृत), वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1681 दिनांक-10.06.2015 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक-274/बजट दिनांक-31.03.2023 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-04 दिनांक-16.05.2023 में निहित निर्देशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
7. आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक- 2561 दिनांक-17.04.1998 (अंगीकृत), वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1681, दिनांक-10.06.2015 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में की जा सकेगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, झारखण्ड वित्त नियमावली एवं कोषागार संहिता का अक्षरशः पालन करेंगे।
9. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का सख्ती से पालन किया जाएगा।
10. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को यह आदेश संसूचित किया जा रहा है।

अनु0-Online आवंटनादेश संख्या-997 (दो पृष्ठ)।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक- ख0भू0(यो0)-खान-03/2023

05-

/राँची, दिनांक-23/05/23

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- ख0भू0(यो0)-खान-03/2023

05-

/राँची, दिनांक-23/05/23

प्रतिलिपि-माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, खान/संयुक्त सचिव, (बजट), खान एवं भूतत्व विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, खान एवं भूतत्व विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), खान निदेशालय, झारखण्ड, राँची/श्री कुमार अमिताभ, नोडल पदाधिकारी - सह - Administrator, Jharkhand State Portal Project -सह-भूतत्ववेत्ता सम्प्रति प्रभारी उप निदेशक, भूतत्व, भूतत्व निदेशालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

राजीव...

2023-24

आवंटन सं० - 997

झारखण्ड सरकार

वं भूतल विभाग

DEMAND NO:29

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
4851	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	15 - कार्यालय व्यय	1,000,000.00
4859	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन	40 - नई मोटरगाड़ी का क्रय	2,500,000.00
4855	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	23 - आपूर्ति एवं सामग्री	1,000,000.00
4860	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	04 - मोटरगाड़ियां / ईंधन	41 - मोटर वाहन	1,000,000.00
4852	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	17 - कार्यालय उपकरण	4,500,000.00
4854	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	21 - सेमिनार/समारोह /कार्यशाला	1,000,000.00
4856	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	29 - व्यावसायिक सेवाएँ	20,000,000.00
4857	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	31 - परामर्शी शुल्क	60,000,000.00
4858	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का विनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	35 - प्रशिक्षण व्यय	1,000,000.00

राज्य

खान एवं भूतल विभाग
झारखण्ड, राँची

2023-24

(94)

आवंटन सं० - 997

झारखण्ड सरकार

वं भूतत्व विभाग

DEMAND NO:29

RELEASE NO	MAJOR	SUBMAJOR	MINOR	SUB CODE	DET HD	UNIT	AMOUNT
4861	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का चिनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	08 - लेखा समायोजन	86 - बापसी	10,000,000.00
4853	2853 - अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	02 - खानों का चिनियमन तथा विकास	001 - निदेशन तथा प्रशासन	07 - खनन स्थापना (राज्य स्कीम)	03 - प्रशासनिक व्यय	18 - प्रकाशन	200,000.00

सचिव
खान एवं भूतत्व विभाग
झारखण्ड, राँची
राज्य